विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जगदलपुर

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष– पीयूष राम साहू
सदस्य– चित्रा खत्री)

प्रकरण क्रमांकः– 19/2026
संस्थित दिनांकः– 29.05.2026

श्री अरूप पात्र, — परिवादी/आवेदक
LIG 21/404, हाऊसिंग बोर्ड,
हाटकचोरा, चंद्रशेखर आजाद वार्ड,
जगदलपुर (494–001)
बी0पी0क्र0 1007628183
मो0नं0 8770275124

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (शहर) संभाग, — उत्तरवादी/अनावेदक
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,
जगदलपुर (छ.ग.)

आदेश

(आज दिनांक 13.07.2026 को पारित)

1. परिवादी द्वारा अप्रैल 2026 के विद्युत बिल में शुन्य युनिट खपत का विद्युत विभाग द्वारा रू0 820/– दिये जाने एवं प्रत्येक माह पिछली बकाया राशि जोड़े जाने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत किया गया है।

2. मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं हैः– 1. परिवादी द्वारा LIG 21/404, हाऊसिंग बोर्ड, हाटकचोरा, चंद्रशेखर आजाद वार्ड, जगदलपुर में किराए पर निवासरत् है जिसका विद्युत कनेक्शन बी0पी0क्र0 1007628183 है। जिनका शुन्य युनिट का रू0 820/– का देयक जारी किया गया है।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि :– परिवादी को विद्युत विभाग द्वारा शुन्य युनिट खपत का रू0 820/– दिया गया। परिवादी को पिछली बकाया राशि प्रत्येक माह जोड़कर विद्युत बिल प्रदाय किया जा रहा है। जिससे परेशान होकर परिवादी द्वारा विद्युत बिल जांच कर सही करने हेतु शिकायत प्रस्तुत किया गया है।

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी/अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि :– अप्रैल 2026 में रीडिंग लेने के दौरान मीटर बोर्ड लॉक होने के कारण रीडर द्वारा डोरलॉक के आधार पर 820/– का देयक जारी किया गया था। उपभोक्ता के शिकायत पश्चात् रीडिंग 1859 के आधार पर सुधार कार्यवाही कर उपभोक्ता को 28 युनिट का 100/– रूपये का देयक जारी किया गया।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नालिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते है :— क्या परिवादी को शुन्य रीडिंग का अनुमानित देयक जारी किया गया है वह मीटर रीडर की लापरवाही है जिसके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना चाहिए।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न की विवेचना एवं निष्कर्ष :— प्रकरण संबंधित मीटर रीडर द्वारा रीडिंग लेने में लापरवाही किया गया है जिसके कारण डोर लॉक का देयक जारी हुआ जबकि मीटर दृष्टव्य स्थल पर स्थापित है। परिवादी के शिकायत पर उत्तरवादी द्वारा कार्यवाही कर देयक में सुधार कर रीडिंग 1859 के आधार पर 28 युनिट का 100/— रूपये का देयक जारी किया गया है। उक्त कार्यवाही से परिवादी संतुष्ट है।

6. विचारणीय प्रश्न की विवेचना और उनके निष्कर्ष के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि:— परिवादी के शिकायत का निराकरण उत्तरवादी द्वारा कर दिया गया है। मीटर रीडर के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिसका पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण पर अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं है।

7. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ0ग0) में अपील कर सकता है।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर
टंकित कराया गया

(पीयूष राम साहू)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर

आदेश पारित किया गया

(चित्रा खत्री)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर

(पीयूष राम साहू)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर